

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती हुकम कंवर, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 27/22

GCMS Id : 2022/44

भंवरलाल आत्मज स्व. परसराम, जाति कहार, निवासी वार्ड नम्बर-10, कैथून, तहसील लाडपुरा,
जिला कोटा

- (वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार, जरिये, तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

- (प्रतिवादी)


वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति : श्री बलवीर स्वरूप भटनागर, वादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 28.10.2024

1. वादी की ओर से जय अभिभाषक, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए, 188 के अन्तर्गत एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।
2. वादी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि :-
 - ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में वादी के पिता परसराम की खरीदशुदा व कब्जेशुदा आराजी खसरा नम्बर 87 रकबा 3.75 हैक्टर स्थित है, जिस पर वादी के पिता अपने जीवनकाल में बतौर मालिक व स्वामी काबिज रहे और उनके स्वर्गवास के उपरान्त वादी उनके उत्तराधिकारी की हैसियत से बतौर मालिक व स्वामी काबिज काश्त चला आ रहा है।
 - उक्त आराजी कोटडी ठिकाना कविराजा महिपत सिंह की खातेदारी की थी। जिन्होंने वादी के पिता का पुराना कब्जा होने के आधार पर 49/- रुपये प्रति बीघा के हिसाब से अन्य सभी काश्तकारों, जो पूर्व से काबिज चले आ रहे थे, उनके साथ ही दिनांक 17.04.1961 को विक्रय कर दी थी और उक्त खरीद की तारीख से ही वादी के पिता व अन्य सभी कब्जेधारी काश्तकार वतौर मालिक व स्वामी काबिज चले आ रहे थे और वादी के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। और वादी ने उक्त भूमि में चार पक्के कमरे व चार कच्चे कमरे बना रखे हैं। बरेरिंग करवा रखा है, बिजली का कनेक्शन लेकर सिंचाई करता चला आ रहा है। वादी व उसका परिवार वहाँ निवास करता है तथा अपनी फसल को व कृषि यन्त्रों को रखता चला आ रहा है।
 - उक्त खरीद की राशि सभी काश्तकारों द्वारा एकजाही रूप से लिस्ट बनाकर दिनांक 29.06.1961 को ठिकाना कोटडी में जमा करा दी थी जिसकी रशीद भी ठिकाना कोटडी के द्वारा जारी की गई थी।
 - सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजी ठिकाना कोटडी के जागीरदारकविराजा महिपत सिंह के खाते से हटाकर वादी के खाते में दर्ज करना चाहिये था किन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने गलत रूप से उक्त आराजी को दौराने सेटलमेन्ट सिवायचक दर्ज कर दिया।
 - सेटलमेन्ट द्वारा उक्त कृत्य अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर किया गया है। जो कानूनन शुरु से ही प्रभावशून्य है।
 - सेटलमेन्ट द्वारा किये गये गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादी ने कई बार राजस्व अधिकारियों को इन्द्राज दुरुस्ती कर आराजी वादी के खाते दर्ज करने हेतु निवेदन किये गये किन्तु इन्द्राज दुरुस्त नहीं किया गया और दिनांक 29.03.2022 को तहसीलदार, लाडपुरा ने इन्द्राज दुरुस्ती करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और शीघ्र ही उक्त आराजी को फसल काश्त हेतु नीलामी बोली लगाकर दिये जाने की धमकी दी।



- अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पिता की खरीदशुदा व मालिकाना कब्जे शुदा आराजी ग्राम कैथून, तहसील लाडपुराकी खसरा नम्बर 87 रकबा 3.75 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार घोषित करते हुये उक्त आराजी सिवायचक खाते से हटाकर वादी के खाते दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
- साथ ही इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि राजस्व रिकार्ड में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर वादी के मालिकाना कब्जेशुदा आराजी वाके ग्राम कैथून के खसरा नम्बर 87 रकबा 3.75 हैक्टर भूमि को प्रतिवादी फसल काशत हेतु न तो कोई नीलामी बोली लगवाये और न ही उक्त आराजी से वादी को फसल काशत करने से रोके और ना ही उक्त कब्जे काशत में कोई मजाहमत व मदाखलत करें।
- वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ग्राम कैथून की आराजी खसरा नम्बर 87 रकबा 3.75 हैक्टर के खसरा परिवर्तित निर्धारण, प्रपत्र पी-14 की फोटोप्रति पेश की गई है।
3. न्यायालय में पेश वाद में प्रतिवादी सरकार की (जयें तहसीलदार) तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये जिसमें प्रतिवादी की तलवी के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर और कोई जवाब/साक्ष्य/रिपोर्ट आदि पेश नहीं करने के फलस्वरूप आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6'(क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
- प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब आदि पेश नहीं होने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से गवाह रमेशचन्द पुत्र रामनारायण, महेन्द्र पुत्र रामनारायण एवं भंवरलाल पुत्र परसराम के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये जो प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से शामिल पत्रावली किये गये।
4. प्रकरण के विधिसंगत निस्तारण हेतु निम्न विवादित बिन्दु कायम किये गये -
- 1) ग्राम कैथून में वादी के पिता परसराम की खरीदशुदा व कब्जेशुदा आराजी खसरा नम्बर 87 रकबा 3.75 हैक्टर स्थित है।
 - 2) वादी, स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।
5. प्रकरण पर बहस हेतु प्रतिवादी की ओर से किसी के भी उपस्थित नहीं होने के कारण वादी के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई -
- वादी अभिभाषक ने अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम कैथून में वादी के पिता परसराम की खरीदशुदा व कब्जेशुदा आराजी खसरा नम्बर 87 रकबा 3.75 हैक्टर पर वादी के पिता और उनके स्वर्गवास के उपरान्त वादी उनके उत्तराधिकारी की हैसियत से बतौर मालिक व स्वामी काबिज काशत चला आ रहा है। उक्त आराजी कोटडी ठिकाना कविराजा महिपत सिंह की खातेदारी की थी जिन्होंने पुराना कब्जा होने के आधार पर 49/- रुपये प्रति बीघा के हिसाब से वादी के पिता व पूर्व से काबिज चले आ रहे अन्य काशतकारों को दिनांक 17.04.1961 को विक्रय कर दी थी। वादी ने उक्त भूमि में चार पक्के कमरे व चार कच्चे कमरे बना रखे हैं। बरेरिंग करवा रखा है, बिजली का कनेक्शन लेकर सिंचाई करता चला आ रहा है। वादी व उसका परिवार वहाँ निवास करता है तथा अपनी फसल को व कृषि यन्त्रों को रखता चला आ रहा है। उक्त खरीद की राशि सभी काशतकारों द्वारा एकजाही रूप से लिस्ट बनाकर दिनांक 29.06.1961 को ठिकाना कोटडी में जमा करा दी थी जिसकी रशीद भी ठिकाना कोटडी के द्वारा जारी की गई थी। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजी ठिकाना कोटडी के जागीरदार कविराजा महिपत सिंह के खाते से हटाकर वादी के खाते में दर्ज करना चाहिये था किन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया जो कानूनन शुरु से ही प्रभावशून्य है। इस बाबत जानकारी होने पर वादी ने कई बार राजस्व अधिकारियों को इन्द्राज दुरुस्ती कर उक्त आराजी वादी के खाते दर्ज करने हेतु निवेदन किये गये तथा दिनांक 29.03.2022 को तहसीलदार, लाडपुरा ने इन्द्राज दुरुस्ती करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और शीघ्र ही उक्त आराजी की नीलामी बोली लगाकर दिये जाने की धमकी दी। अतः निवेदन है कि वादी के पिता की खरीदशुदा व मालिकाना

कब्जे शुदा आराजी ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 87 रकबा 3.75 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार घोषित करते हुये उक्त आराजी सिवायचक खाते से हटाकर वादी के खाते दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जाये तथा इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये कि राजस्व रिकार्ड में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर वादी के मालिकाना कब्जेशुदा विवादित आराजी की न तो कोई नीलाभी बोली लगवाये और न ही उक्त आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत व मदाखलत करें।

वादी अभिभापक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2024(2) CJ(Civ.)(SC), Page 390-396 पेश किया गया।

6 प्रकरण पर वादी के अभिभापक की सुनी गई बहस उपरान्त प्रकरण के विवादित विन्दु निम्नानुसार तय किये जाते हैं :-

1) ग्राम कैथून में वादी के पिता स्व. परसराम की खरीदशुदा व कब्जेशुदा आराजी खसरा नम्बर 87 रकबा 3.75 हैक्टर स्थित है।

- वादपत्र की मद संख्या 2 में उल्लेख किया है कि उक्त आराजी कोटडी ठिकाना कविराजा महिपत सिंह के खातेदारी की थी जिन्होंने पुराना कब्जा होने के आधार पर 49/- रुपये प्रति बीघा के हिसाब से वादी के पिता व अन्य सभी काश्तकारों को दिनांक 17.04.1961 को विक्रय कर दी थी।
- वादी द्वारा विवादित आराजी के क्रय के सम्बन्ध में तथा विवादित आराजी पर अपने कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।
- मद संख्या 2 में ही वोरिंग करवाने व विजली के कनेक्शन का भी उल्लेख किया है किन्तु वोरिंग तथा विजली का कोई बिल आदि भी पेश नहीं किया गया है।
- इस प्रकार वादी द्वारा, ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 87 रकबा 3.75 हैक्टर की खरीद तथा उक्त आराजी पर कब्जे के सम्बन्ध में अंकित कथनों की पुष्टि में कोई प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य नहीं पेश किये जाने के कारण वादी अपने कथनों को सिद्ध करने में असफल रहा है, जिससे यह विवादित विन्दु वादी के विरुद्ध तय किया जाता है।

2) वादी, स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

- राजस्व प्रकरणों में खातेदार द्वारा ही प्रकरण की विवादित आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा के लिये दावा पेश किया जा सकता है।
- प्रस्तुत प्रकरण में वादी न तो खसरा में विवादित आराजी का खातेदार है और ना ही वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि विवादित आराजी पूर्व में कभी वादी के खाते दर्ज रही हो।
- इस प्रकार पूर्व में कभी और वर्तमान में विवादित आराजी का अभिलिखित काश्तकार खातेदार नहीं होने के कारण वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से यह विन्दु वादी के विरुद्ध तय किया जाता है।

7. प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात तथा वादी की ओर से पेश न्यायिक दृष्टान्त का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने एवं प्रकरण के विवादित विन्दुओं के उपरोक्तानुसार विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि -


- ✓ वादी द्वारा दिनांक 17.04.1961 में 49/- रुपये प्रति बीघा की दर से क्रय की गई ग्राम कैथून की आराजी खसरा नम्बर 87 रकबा 3.75 हैक्टर पर खातेदारी अधिकार चाहे गये है किन्तु वादी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में जागीरदार कविराजा महिपत सिंह के स्वामित्व से लगाकर वर्ष 1961 में क्रय सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है।
- ✓ वादी द्वारा विवादित आराजी पर पूर्व में अपने पिता का तथा उनकी मृत्यु उपरान्त अपना स्वयं का निरन्तर कब्जा होना अंकित किया है किन्तु इसके सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी आदि पेश नहीं की गई है तथापि प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण के माध्यम से वादी, विवादित आराजी पर अपने निरन्तर कब्जे के आधार पर खातेदारी का अनुतोष प्राप्त करना चाहता है।

वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी के अवलोकनानुसार विवादित आराजी सिवायचक खाता दर्ज है जिस पर वादी अतिक्रमी के रूप में काबिज है। अतिक्रमी को राजकीय सिवायचक भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अतिक्रमी को कोई भी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो।

प्रतिकूल/पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी वावत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, केवल धारा 63(1)(4) के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त होने के ही प्रावधान हैं। RRT 2011 पेज 721 के वृहत पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान ही नहीं होना वर्णित किया है। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.06.2014 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं माना है।

उपरोक्त समस्त विवेचन, दस्तावेजों एवं नजीरों के आधार पर वादीगण का वाद घोषणा का न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता है। वादी, अपने दावे में अंकित कथनों को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

6. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(श्रीमती हकम कंवर)
सहायक कलेक्टर
(मुख्यालय), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी- श्रीमती हुकम कंवर, R.A.S.

बउनवान :-

भंवरलाल आत्मज स्व. परसराम, जाति कहार, निवासी वार्ड नम्बर-10, कैथून, तहसील लाडपुरा,
कोटा

- (वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार, जरिये, तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

- (प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88, 89, 92A, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 27/22
निर्णय दिनांक : 28-10-2024

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री बलवीर स्वरूप भटनागर की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 28-10-2024 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती हुकम कंवर आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वादीगण का वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा, का न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता है। वादी, अपने दावे में अंकित कथनों को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

- खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई और टंकित करवाई जाकर आज तारीख 28.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(श्रीमती हुकम कंवर)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2.	अर्जी के लिये स्टाम्प
3.	अदशों के लिये स्टाम्प	3.	प्लीडर के लिये फीस
4. रूपये पर प्लीडर की फीस	4.	साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	5.	आदेशिका की तामिल
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल	6.	कमिश्नर की फीस
जोड़		जोड़	